राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 295

प्रगति

समाचार पत्र

दिसम्बर 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में हिमायत पर एक त्वरित जांच अध्ययन रिपोर्ट

3 पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में हिमायत पर एक त्वरित जांच अध्ययन रिपोर्ट

विषय-सूची

7
ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले में महिला उद्यमियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

9
एनआईआरडीपीआर ने की यूनिसेफ वॉश संगोष्ठी की मेजबानी

11
ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

12
एनआईआरडीपीआर ने 'पूर्व महानिदेशक श्री बी के सिन्हा के निधन पर शोक जताया

13
मोबाइल प्रशिक्षण: ग्राम पंचायतों के द्वार पर प्रशिक्षण

14
पीआईए कर्मियों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श कौशल पर डीडीयू-जीकेवाई प्रायोगिक अग्रगामी प्रशिक्षण

15
पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर क्षेत्रीय कार्यशाला

16
ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17
समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणार्थियों के साथ एफजीडी प्रगति पर

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में हिमायत पर एक त्वरित जांच अध्ययन रिपोर्ट

मानव पूंजी, अपने सार में, सशक्त लोगों को संदर्भित करती है, अर्थात्, ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त होकर समाज में एक अच्छा योगदान देना है, और स्वतंत्र होना है । हिमायत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के 30,000 युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना है और चार वर्षों की अवधि में कम से कम 50 प्रतिशत तक वित्त और सहायता सेवाओं तक एक्सेस की सुविधा प्रदान करना है । अहमदाबाद स्थित उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) समन्वय एजेंसी के रूप में परियोजना की निगरानी कर रहा है ।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वयन के जम्मू क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद द्वारा एक त्वरित जांच प्रारंभ की गई :

- हिमायत के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों यादृच्छिक रूप से जांच करना
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप इकाइयों की वर्तमान स्थिति का आकलन करना
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रिकॉर्ड / खातों को प्रमाणित करना

जम्मू, कठुआ, रियासी और सांबा जिले के 16 ब्लॉकों के 55 गांवों में जांच प्रारंभकी गई (तालिका - 1)।

राज्य के हित में और राष्ट्र की संप्रभुता के हित में कार्यक्रम को जारी रखने की एक सख्त आवश्यकता है

जम्मू संभाग के 126 गांवों के 198 उत्तरदाताओं का एक नमूना, जिन्हें हिमायत के तहत प्रशिक्षित किया गया, उन्हें अनियमित रूप से चयनित किया गया और एक संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम के माध्यम से साक्षात्कार किया गया । सहभागिता साधन जैसे समूह चर्चा, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), वैयक्तिक साक्षात्कार और ट्रांसेक्ट्स का इस्तेमाल भी उत्तरदाताओं से गुणात्मक डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता था । 55 स्टार्ट-अप इकाइयों को यादृच्छिक तौर पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया (तालिका - 2)।

निष्कर्ष और परिचर्चा

हिमायत के तहत उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों (पुरुषों और महिलाओं दोनों) का कवरेज

हिमायत का पहला चरण 1 जुलाई 2014 को आरंभ किया गया । परियोजना के कार्यान्वयन के पहले 18 महीनों में, जेकेईडीआई को विभिन्न व्यवहार्य व्यवसायों में तीन सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 4,000 लाभार्थियों को शामिल करना । कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जेकेईडीआई की प्रतिबद्धता और गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने 4,047 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जो राज्य के लक्ष्य से अधिक है ।

क्र.सं.	जिले का नाम	खंडों के नाम	गांवों की संख्या
1.	जम्मू	मरह	12
		सतवारी	
		दंसल	
		पुरमंडल	
		आर.एस. पोरा	
2.	कठुआ	कठुआ	16
		हीरानगर	
		बिलावर	
		बानी	
3.	रियासी	रियासी	15
		पौनी	
		महोर	
		अमास	
4.	सांबा	सांबा	12
		रामगढ़	
		बरी ब्राह्मण	
		विजयपुर	

तालिका - 1: प्रतिदर्श ब्लॉक और प्रतिदर्श गांवों का वितरण

जम्मू संभाग में 2,086 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 826 को वित्तीय संयोजन प्रदान किया गया । 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों (दिशानिर्देशों में उल्लिखित) के लिए वित्तीय संयोजन के प्रावधान के रूप में, जेकेईडीआई का दावा है कि उन्होंने 50 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया, सभी को एक साथ रखा । प्रशिक्षित युवाओं की संख्या और वित्तीय संबंध प्रदान करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का विवरण तालिका- 3 में प्रस्तुत किया गया है ।

हिमायत के तहत उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण के लिए महिला उम्मीदवारों का कवरेज

देश और दुनिया में वर्तमान रोजगार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, महिलाएं प्रमुख भूमिका आदाकर्ता के रूप में उभर रही हैं और एक ही दृष्टिकोण का समर्थन कर रही हैं । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ने महिलाओं की भागीदारी को कम से कम 30 प्रतिशत तक बेहतर बनाने का प्रस्ताव दिया है । हालाँकि, उनमें से केवल 13.94 प्रतिशत प्रशिक्षित है । जिन महिलाओं की वित्तीय सहायता बढ़ाई गई, उनकी संख्या भी बहुत कम है ।

जागरूकता सृजन कार्यक्रम

हिमायत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में जागरूकता जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवाओं और आम जनता के बीच बनाई गई, जिसमें समाचार पत्रों के विज्ञापनों, टीवी विज्ञापनों, राज्य के स्वामित्व वाले और निजी रेडियो स्टेशनों और बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों, दरवाजे जैसी गतिविधियों का एक समूह था। -तुलसी अभियान, रोड शो, प्रचार सामग्री का वितरण आदि । ये कार्यक्रम जिला-स्तर और ग्राम/हलका पंचायतों में विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित किए गए ।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में स्थान-विशिष्ट व्यवहार्यता के आधार पर, 22 जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए । उत्तरदाताओं ने भी एफजीडी के दौरान उल्लेख किया है कि वे विभिन्न मीडिया के माध्यम से हिमायत से अवगत हो गए हैं जो कि जेकेईडीआई द्वारा उपयोग किए गए ।

क्र.सं.	व्यापार / क्रियाकलाप	इकाइयों की संख्या	गांवों में वितरित
1	डेयरी फार्म	15	10
2	जनरल स्टोर	11	7
3	बकरी और / या भेड़ का फार्म	5	3
4	मुर्गीपालन फार्म	4	4
5	रद्दीमाल की बिक्री	3	3
6	इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप	2	2
7	रेडीमेड कपड़े की दुकान	2	2
8	खच्चर यूनिट	2	2
9	लोहा और इस्पात	1	1
10	घरेलू उपकरण	1	1
11	फिटनेस जिम	1	1
12	ब्यूटी पार्लर	1	1
13	सीमेंट और हार्डवेयर	1	1
14	सीवरेज क्लीनर	1	1
15	कंप्यूटर संस्थान	1	1
16	क्रॉकरी स्टोर	1	1
17	इस्पात निर्माण इकाई	1	1
18	मोबाइल फोन की बिक्री और सेवाएँ	1	1
19	कंप्यूटर पेरिफेरल्स	1	1

तालिका - 2: व्यापार-वार उन स्टार्ट-अप इकाइयों का ब्यौरा जो भौतिक रूप से सत्यापित की गई

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षण का विवरण		
		प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें वित्तीय संयोजन उपलब्ध कराया गया	प्रतिशत
1	जम्मू	2086	826	39.59
2	श्रीनगर	1804	1090	60.42
3	लद्दाख	157	88	56.04
	कुल	4047	2004	49.51

तालिका - 3: प्रशिक्षित और वित्तीय लिंकेज प्रदान किए गए उम्मीदवारों की संख्या; स्रोत: जेकेईडीआई प्रगति रिपोर्ट -2015

ऊपरी आयु सीमा बढ़ाना

परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की सिफारिशों के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 45 साल किया जाना था, लेकिन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए) पात्र होने के लिए ऊपरी आयु सीमा को 35 साल तक जारी रखती है। हिमायत के तहत प्रशिक्षण के लिए विचार करने के लिए, 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवार सबसे अधिक ग्रहणशील, अभिनव, साहसी और उद्यमी होंगे और ये लक्षण या तो 35 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं में गिरावट के कारण होंगे या वे पहले से ही कुछ निजी नौकरियों में बस गए होंगे या कुछ अन्य आजीविका के कामों में लगे होंगे। हालांकि, प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

शैक्षिक योग्यता

8 वीं कक्षा में पास होने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पीआईए द्वारा प्रस्तावित और पीएसी द्वारा अनुमोदित शिक्षा का उचित स्तर माना जाता है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

संबंधित अधिकारियों और हिमायत के पीआईए ने कहा कि पाठ्यक्रम आदर्श हो सकता है अगर संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास पर अन्य साफ्ट कौशल पर एक पूरा मॉड्यूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जा सकता है। ये कौशल नए ग्राहकों और ग्राहकों को आकर्षित करके अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने का आधार बनाते हैं। इसके आधार पर, ईडीआई, अहमदाबाद एक नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है।

प्रशिक्षण और अन्य तार्किकता पर व्यय

पीआईए ने अपने परियोजना प्रस्ताव में संकेत दिया है कि भोजन और आवास के लिए 21 दिनों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की लागत प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 8000 होगी। हालांकि, सत्यापन पर और पीआईए द्वारा सूचित किए जाने पर, केवल जेकेईडीआई, पंपोर, श्रीनगर में प्रशिक्षण एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जबकि बाकी नहीं थे। व्यापार / गतिविधियों, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को हिमायत के तहत प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें तालिका - 5 में प्रस्तुत किया गया।

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रशिक्षणार्थी					
		प्रशिक्षित			प्रदान किया गया वित्तीय संयोजन		
		कुल	महिलाये	%	कुल	महिलाये	%
1	जम्मू	2086	322	15.43	826	99	11.98
2	श्रीनगर	1804	237	13.13	1090	115	10.55
3	लद्दाख	157	5	3.18	88	4	4.54
	कुल	4047	564	13.93	2004	218	10.87

तालिका - 4: हिमायत के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों की संख्या और प्रदान किये गये वित्तीय संयोजन; स्रोत: जेकेईडीआई प्रगति रिपोर्ट -2015

वित्तीय संयोजन

पीआईए ने पीएसी को सौंप दिया है कि जेकेईडीआई ने हिमायत के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए, जेके बैंक सहित कई वित्तीय संस्थानों के साथ एक सिद्धांत ऋण संयोजन बंधन में प्रवेश किया है। हालांकि, हिमायत प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को छोड़कर इनमें से किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषण किया जाना है। एनएमडीएफसी 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण के साथ वित्तीय सहायता का अपना अंश दे रहा है। उद्यम के आधार पर एनएमडीएफसी ने दो बराबर किस्तों में वितरित किए जाने के लिए 2,00,000 से 4,00,000 रुपये के ऋण को अनुमोदन / मंजूरी दी है। हालांकि, अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों ने अब तक केवल पहली किस्त और उनमें से कुछ पूरी राशि का लाभ उठाया है। एफजीडी के दौरान, उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करने और एनएमडीएफसी द्वारा पेशकश की जा रही ब्याज दर पर वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है।

स्टार्ट-अप इकाईयों का निष्पादन

युवाओं का सशक्तीकरण विभिन्न मुद्दों को हल करने और उन्हें समाज में उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हिमायत ने गरीब युवाओं के सार्वभौमिक सामाजिक विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक मंच प्रदान किया है और उन्हें गरीबी से मुक्ति के लिए आर्थिक सुधार के रास्ते पर रखा है।

स्टार्ट-अप इकाइयों को यादृच्छिक रूप से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया। अधिकांश इकाईयाँ नयी हैं और किसी निर्णय को पारित करना असामयिक होगा। लगभग सभी इकाईयाँ जो स्थापित हो चुकी हैं, उन्हें भी तोड़ना बाकी है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने पहले से मौजूद उद्यमों के विस्तार पर ऋण का निवेश किया है। हालांकि, उद्यमियों की नवाचारशीलता अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अन्य विपणन रणनीतियों के विविधीकरण और उपयोग के महत्व को और प्रशिक्षार्थियों के अहसास को दर्शाती है।

महिला प्रशिक्षणार्थी कचरे से संपत्ति का कार्य करते हुए

अधिकांश प्रशिक्षणार्थी (208) ने सामान्य स्टोर / अनंतिम स्टोर स्थापित किए हैं, इसके बाद डेयरी इकाईयां (68), रेडीमेड वस्त्र (44) और आदि ।

जिन इकाईयों को सत्यापित किया गया उनमें से अधिकांश ने न तो किसी की सेवाएं ली हैं और न ही दूसरों के लिए अवसर पैदा कर सकी हैं । उनमें से अधिकांश अपने स्वयं के पारिवारिक श्रम को उलझा रहे हैं । उद्यमियों के साथ बातचीत ने उनके जीवन को आकार देने और कैरियर बनाने के उनके आत्मविश्वास का संकेत दिया है ।

उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जिन्होंने एक साल पहले अपने उद्यम स्थापित किए हैं । प्रशिक्षणार्थियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अब गरिमा का जीवन जी रहे हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है और इकाइयों को शुरू करने के बाद अपने स्वयं के इलाके में भी उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।

हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग

जेकेईडीआई ने उस क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ और उद्यमों की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग अवसरों के साथ संयोजन की सुविधा प्रदान की है ।

अभिलेखों और खातों की जांच

ईडीआई, अहमदाबाद द्वारा रिकॉर्ड और प्रगति को अच्छी तरह से समन्वित, निगरानी और प्रलेखित किया गया है । पीआईए ने पारदर्शी रूप से खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखा है । खातों का नियमित रूप से लेखापरीक्षा किया गया है । निधि प्रवाह और व्यय की विवरणों की जांच की गई ।

मत और सुझाव

भारत सरकार द्वारा हिमायत का शुभारंभ और जेकेईडीआई द्वारा कार्यान्वयन जम्मू क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के जीवन पर प्रभाव डालता है । उन लोगों द्वारा उद्यमों की स्थापना, जिन्हें प्रशिक्षित और वित्तीय संबंध प्रदान किया गया है, न केवल प्रशिक्षणार्थियों (अब उद्यमियों) की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाए हैं, बल्कि उन गांवों के समुदायों के लिए भी । अन्य लोग पीछे नहीं रहना चाहते हैं और यह भी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहते हैं ।

देख कर विश्वास होता है : एक श्रृंखला या चरणों में हिमायत का कार्यान्वयन निश्चित रूप से लोगों की विचार प्रक्रिया को और विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को बदल देगा और अप्रत्यक्ष रूप से और धीरे-धीरे बेरोजगारी को कम करेगा ।

खाली दिमाग शैतान का घर होता है: एक बार जब बेरोजगार युवा शामिल हो जाते हैं और अपनी आजीविका गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, तो निश्चित रूप से राज्य में सामाजिक-राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा ।

यह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश भर में साबित हुआ है कि महिलाएं घर में आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं । इसलिए, हिमायत के बाद के चरणों में और अधिक महिलाओं को भर्ती करने के प्रयासों के साथ, जम्मू और कश्मीर में भी महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है ।

कई और वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श होना चाहिए ताकि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनकी जाति, पंथ, रंग और धर्म की परवाह किए बिना वित्तीय संयोजन प्रदान किया जा सके । स्थानीय सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन आधार के अनुरुप कुछ और व्यापारों की पहचान की जा सकती है और उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया गया है । साफ्ट कौशल पर एक मॉड्यूल जैसे प्रस्तुति कौशल, संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, आदि को प्रशिक्षण मॉड्यूल में समन्वित किया जाना चाहिए ।

डॉ.जी.वी. कृष्ण लोही दास
एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीएफएल
कवरपेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले में महिला उद्यमियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री शशि भूषण, वित्तीय सलाहकार, एनआईआरडीपीआर, श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. रमेश सक्तीवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआईएटी, एनआईआरडीपीआर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डॉ. तमिलिसाई सौन्दरराजन, तेलंगाना के गवर्नर ने आरटीसीएम 2019 की शुरुआत के लिए रिबन काटते हुए ।

17 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला का उद्घाटन 29 नवंबर, 2019 को तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन द्वारा हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में किया गया । मेला का आयोजन एनआईआरडीपीआर ने अपने स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में किया । वर्ष 2003 से एनआईआरडीपीआर द्वारा पांच दिवसीय लंबे मेले का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है ।

इस तरह के मेलों के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करके, उनके सफल साथियों से सीखने में मदद करना है; विपणन रणनीतियों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम करना ; उन्हें अपने उत्पादों के विपणन का पहला अनुभव प्राप्त करना; बेहतर विपणन संभावनाओं के लिए अपने उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के संदर्भ में आवश्यक सुधारों की पहचान करने में उनकी मदद करना; और इन सबसे ऊपर, इस तरह के आयोजनों में भाग लेने से उनके द्वारा हासिल किए गए समग्र प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है ।

इन वर्षों में, मेले ने कई कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और देश के विभिन्न भागों के उद्यमियों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इस वर्ष के मेला का विषय 'महिला उद्यमिता' था । महिला सशक्तिकरण के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए विषय का चयन किया गया, जो परिवार के निर्माण में एक महान भूमिका निभा सकता है, जो एक खुशहाल और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है । 'महिला उद्यमी' वह व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए एक चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करता है ।

'महिला उद्यमिता' की अवधारणा एक वैश्विक घटना बनती जा रही है और यह भारत में भी जोर पकड़ रही है । महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण अप्रयुक्त स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है!

विषय के अनुरूप, 23 राज्यों की 400 से अधिक महिला एसएचजी उद्यमियों ने मेले में भाग लिया और इस वर्ष अपने सुंदर काम का प्रदर्शन किया । राज्य आजीविका मिशनों ने इन महिला उद्यमियों को प्रायोजित करने के लिए कदम उठाए । इस वर्ष के मेले में स्थापित 200 स्टालों में प्रदर्शित उत्पादों की सूची में बांस और लकड़ी के शिल्प, जूट और चमड़ा उत्पाद, जैविक और बाजरा उत्पाद, पारंपरिक और आदिवासी आभूषण, मिट्टी और टेराकोटा उत्पाद, पीतल और बेल धातु के काम, मधुबनी और मिताली पेंटिंग, हथकरघा और कढ़ाई के काम, पारंपरिक अचार और पापड़, ऊनी और रेशम उत्पाद, आदि जैसे विभिन्न पारंपरिक और ग्रामीण उत्पाद शामिल हैं ।

मेला के उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए, तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, "ऐसे मेले ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों, एसएचजी और ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं । यह लोगों के लिए हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली महिला उद्यमियों की पहल की सराहना करने और

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला के भाग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन करते कलाकार

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला के दौरान एसएचजी महिलाओं द्वारा स्थापित विभिन्न स्टालों पर आगंतुक

समर्थन करने का अवसर है। इन अद्वितीय उत्पादों को खरीदने का चयन करके, हम इन योग्य महिलाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करेंगे, जिन्होंने उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा है"।

इसके अलावा, मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के लोक और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय प्रतिभाओं के अलावा, विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध सांस्कृतिक समूहों, जिनमें नागपुर और तंजावुर के दक्षिण मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के कलाकारों ने इस अवसर पर अपने कुशल प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के खेलने का क्षेत्र सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों और सार्वजनिक सुविधाओं को स्थापित किया गया। मेले के भाग के रूप में बनाया गया फूड कोर्ट अद्वितीय रहा क्योंकि विभिन्न राज्यों के स्थानीय व्यंजनों को परोसा गया।

'मछली उत्सव' को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के सहयोग से मेले के भाग के रूप में आयोजित किया गया। यह आयोजन नाबार्ड, एनएफडीबी, भारतीय स्टेट बैंक और डीडीयू-जीकेवाई भागीदारों द्वारा सह-प्रायोजित था। मेला, जो विशेष रूप से एसएचजी महिला उद्यमियों द्वारा दर्शाया गया एक अत्यधिक सफल आयोजन था। एनआईआरडीपीआर आने वाले आयोजनों में मेले में केवल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहा है।

इस वर्ष के मेले में, लगभग 2 करोड़ रुपये की कुल बिक्री हुई। कई सफल एसएचजी ने आयोजन में 1,00,000 - 2,00,000 रुपये की बिक्री की। एसएचजी ने ऑनलाइन व्यापारी कंपनियों, खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों से अपने उत्पादों की थोक आपूर्ति के लिए पूछताछ की है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है, जो हैदराबाद के शहर में ग्रामीण उद्यमियों और कारीगरों को अत्यंत वैभव के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

अनुमान है कि एनआईआरडीपीआर में आयोजित पांच दिवसीय मेले में 50,000 से अधिक लोग आए हैं। मेले ने इन वस्तुओं के उत्पादकर्ताओं से सीधे भारत के ग्रामीण भागों में बने उत्पादों पर हैदराबाद और उसके आसपास रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की है। हैदराबाद के लोग और महिला उद्यमी इस आयोजन से काफी लाभान्वित हुए।

इस कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले के दौरान एसएचजी महिलाओं द्वारा स्थापित विभिन्न स्टालों पर आगंतुक

एनआईआरडीपीआर ने की यूनिसेफ वॉश संगोष्ठी की मेजबानी

तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने दीप प्रज्ज्वलित किया । इसके अलावा (बाएं से दाएं) देखे जाते हैं:
डॉ. शिवराम, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर,
डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, सुश्री मीतल रूसिया, प्रमुख, यूनिसेफ,
हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय और अन्य गणमान्य व्यक्ति
कार्यालय और अन्य गणमान्य व्यक्ति

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने 18 से 20 दिसंबर, 2019 तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए यूनिसेफ वॉश (जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता) संगोष्ठी की मेजबानी की ।

तीन राज्यों के विकास साझेदारों को 6 वीं वॉश संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि वे वॉश से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान का आदान-प्रदान और कार्रवाई कर सकें । यह संगोष्ठी एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से तीन राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित किया गया ।

इस वर्ष की संगोष्ठी का विषय सफलता का जश्न मनाना और ग्रामीण वॉश हस्तक्षेपों और प्रासंगिक सतत विकास के लिए इसके योगदान पर ध्यान केंद्रित करना । संगोष्ठी ने भारत सरकार द्वारा जारी ओडीएफ + (खुले में शौच मुक्त) रणनीति, 10 साल की स्वच्छता रणनीति और जल शक्ति मिशन दिशानिर्देशों को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान किया । संगोष्ठी अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए व्यापक कार्रवाइयों पर सहमत हुआ ।

उद्घाटन भाषण देते हुए, तेलंगाना के राज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, "मैं यहां तेलंगाना के राज्यपाल की अपेक्षा एक चिकित्सक के रूप में उपस्थित हूं क्योंकि इस संगोष्ठी का विषय "स्वास्थ्य" - जल, स्वच्छता और सफाई से अधिक है । स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, मैंने अस्पतालों में खराब स्वच्छता की आदतों के कारण पीड़ित महिलाओं को देखा है, और बच्चे दस्त के कारण मर रहे हैं, जिसकी रोकथाम की जा सकती है । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता ने प्रशासन के हर स्तर पर स्वच्छता को प्रदर्शित किया और इसलिए आज हम एक साथ सफलता का जश्न मना रहे हैं, हमारे देश ने इसे प्राप्त किया है ।"

इसके अलावा, डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, "मैं इस मिशन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए सभी जिला कलेक्टरों और मिशन टीमों की सराहना करती हूं । किशोर लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता एक और मुद्दा है जिस पर हमें आने वाले वर्षों में ओडीएफ + के भाग के रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है । यह खुशी मनाने का क्षण है, साथ ही स्वच्छ भारत के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में खुद को प्रतिबद्ध करने का क्षण है ।"

जहां तक स्वच्छता का संबंध है, भारत ने पहले ही एसडी गोवा 16 (संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों) को प्राप्त कर लिया है, जो संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी सभी राष्ट्रों के लिए प्रयास करने और हासिल करने के लिए लगभग 10 साल आगे है । स्वच्छता के मोर्चे पर, भारत अन्य विकासशील देशों से सीखने के लिए रणनीतियों का एक भंडार बन गया है । इस अवसर पर बोलते हुए, यूनिसेफ, हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय की प्रमुख, सुश्री मितल रूसिया ने कहा, "आज यह उत्सव और वॉश क्षेत्र में हासिल की गई उत्कृष्टता संभव हो गई है क्योंकि राज्य और जिला प्रशासन ने ओडीएफ को प्राप्त करने में दिखाया है । प्रत्येक ग्रामीण स्तर के प्रेरक, सामुदायिक नेता, एसएचजी महिलाएँ - हर कोई इस पल का जश्न मनाने के हक़दार है ।"

इसके अलावा, सुश्री मितल रूसिया ने कहा, "बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए वॉश सर्वोपरि है । यह वर्ष विश्व स्तर पर बाल अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि हम बाल अधिकारों के परंपरा (सीआरसी) को अपनाने की 30 वीं वर्षगांठ मनाते हैं । भारत में, मुझे लगता है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है, जो वॉश सेक्टर के लिए बढ़ते निधि आवंटन से

पहचानी जाती है। पंचायतों, ग्रामीण विकास विभाग और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की प्रतिबद्धता के साथ हम हर बच्चे के लिए उपलब्ध वॉश सेवाओं को सक्षम करने में अगले मील के पत्थर की ओर बढ़ेंगे।

इस आयोजन में यूनिसेफ, हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों और तीन राज्यों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के वॉश साझेदारों, अधिकारियों, विशेषज्ञों ने भाग लिया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, ने कहा "माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के बारे में लोगों की भ्रांतियों और संकोच को दूर किया है। और स्वच्छता और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदर्शित करके गरिमा प्राप्त की। समारोह, पुरस्कार और प्रशंसा काम करने के लिए नए सिरे से प्रेरणा प्रदान करते हैं और आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। जब हम जश्न मनाते हैं, तो हमें अपनी ओडीएफ कहानी में अंतराल पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और ऐसे अंतरालों को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है, जिनके लिए आने वाले दिनों में ध्यान केंद्रित करने और संबोधित करने के अभिनव तरीकों की आवश्यकता होती है।"

इसके अलावा, डॉ. रेड्डी ने कहा, "भारत में हर घर में पाइप जलापूर्ति प्रदान करने का विचार एक महत्वाकांक्षी मिशन है। हमें एक साथ स्रोत स्थिरता और जल संरक्षण के मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है जैसे कि वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग, दूसरों के बीच में। बच्चे ऐसे किसी भी मिशन के सर्वश्रेष्ठ राजदूत हो सकते हैं। बच्चों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण इत्यादि सीखने के लिए प्रत्येक स्कूल को एक डेमो-प्लॉट के रूप में लिया जाना चाहिए। किसी भी निम्न स्तर की योजना जिसे हम बनाते हैं, उसे एक व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में मिलाया जाना चाहिए ताकि यह समुदाय की मंजूरी प्राप्त करे और इसलिए, आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो।"

यूनिसेफ दिल्ली के श्री सौजय मजूमदार ने कहा, "पिछले 60 महीनों में, लगभग 400 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन-जी के तहत शौचालय की सुविधा मिल गई है। लेकिन, अभी भी ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं और इसी तरह, शौचालय सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। उनकी संख्या छोटी हो सकती है, फिर भी हमें पूर्ण वास्तविकता बनने के लिए ओडीएफ के लिए भी ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है।"

जल और स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय के तहत) का नया विभाग 10 साल की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-20 के साथ सामने आया है, जिसे इस सम्मेलन के माध्यम से प्रसारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा ओडीएफ स्थिरता और जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल का जल सुनिश्चित करना।

इन एजेंडा बिंदुओं पर कार्रवाई बिंदु एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में तीन दिवसीय सम्मेलन के अंत में संगोष्ठी प्रतिबद्धताओं के रूप में उभरा। वॉश संगोष्ठी यूनिसेफ-हैदराबाद कार्यालय का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो आपसी साझाकरण और सीखने के लिए वॉश सेक्टर के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है।

इस संगोष्ठी में जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन के विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया और अपने-अपने जिलों / राज्यों में वॉश में नवीनतम विकास पर चर्चा की। इन तीन राज्यों के जिला कलेक्टरों, सीईओ का चयन किया गया, पैनल चर्चाओं में शामिल हुए और वॉश सेक्टर में अच्छी प्रथाओं को साझा किया और सामने आने वाली चुनौतियों को भी सामने रखा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वॉश क्षेत्र के चैंपियंस को सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। तीनों राज्यों और जिलों के 'स्वच्छता चैंपियंस' को मंच पर आमंत्रित किया गया और सम्मानित किया गया।

अवसर पर, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर एक पुस्तक का विमोचन तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया। अध्ययन का संचालन डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई और डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआरआई द्वारा किया गया।

तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर पुस्तक का लोकार्पण

ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बाएं से दाएं: डॉ. पार्था प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी, एनआईआरडीपीआर, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआईएटी

ग्रामीण क्षेत्रों में कई और स्थायी आजीविका के रास्ते बनाना एक प्रमुख चिंता का विषय है और इस दिशा में बड़ी संख्या में सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । सभी व्यापक क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे । अब क्या कमी है, उद्यमी क्षमताओं को विकसित करने, उनकी क्षमताओं का प्रबंधन और पोषण करने और आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों दोनों को दीर्घावधि हैंडहोल्डिंग प्रदान करने की जटिल प्रक्रिया का एक समग्र परिप्रेक्ष्य, जो न केवल उनके लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा । लेकिन विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमिता विकास से संबंधित सभी सरकारी कार्यों के अभिसरण और तालमेल की भी आवश्यकता है ।

इस पृष्ठभूमि के साथ, ग्रामीण समुदाय के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल पर पांच दिवसीय कार्यक्रम 16-20 दिसंबर, 2019 के दौरान संयुक्त रूप से उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडी) और नवोन्मेषी और उचित प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईएटी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को उद्यमशीलता कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ सशक्त बनाना है ताकि एक नया स्थायी उद्यमशीलता उद्यम शुरू किया जा सके और / या मौजूदा लोगों को उचित रुप से विकास किया जा सके । 17 कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 28 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया । वे एसआईअरडी, एसआरएलएम, आरएसईटीआई, ईटीसी, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, सीएसआर सहयोगियों आदि संगठनों की एक विविध श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया । अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, डॉ रेड्डी ने साझा किया कि भारत में ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े विभिन्न विचार, मॉडल और दृष्टिकोण है, एनआईआरडीपीआर ने वर्षों में अपनी गतिविधियों के क्षेत्रों और दायरे को कैसे विकसित और विस्तारित किया है । उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका पर जोर दिया ।

उन्होंने उद्यमिता कार्यक्रमों में युवाओं और महिलाओं की मुख्यधारा के महत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सामना करने वाली हर समस्या में उद्यमशीलता के अवसरों की संभावना पर प्रकाश डाला । उन्होंने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, बायोगैस आदि पर कई गतिविधियों के बारे में बात की, जिस पर सभी पंचायतों में एक उद्यम के रूप में प्रचार किया जाना चाहिए । उन्होंने उद्यमशीलता और आजीविका गतिविधियों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने में स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की भूमिका और क्षमता को भी बताया । हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि उद्यमशीलता के मॉडल के साथ-साथ इसकी तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता को डिजाइन करते समय स्थानीय लोगों की आवश्यकता को समझना भी महत्वपूर्ण है । उन्होंने प्रतिभागियों से ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) से संकेत लेने और राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर इसी तरह के हस्तक्षेप का अनुकरण करने का प्रयास करने का आग्रह किया ।

महानिदेशक के संबोधन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत और विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ । इन सत्रों में शामिल विषयों में शामिल हैं: उभरती चुनौतियां आजीविका, प्रौद्योगिकी और विकास में नवाचारों, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, एफपीओ, लिंग और उद्यमशीलता के लिए इसके निहितार्थ, धन की बर्बादी, नए और मौजूदा उद्यमों के लिए सहायता की योजनाओं, पैकेजिंग आदि । प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के प्रौद्योगिकी साझेदारों द्वारा घर पर आधारित उत्पादों, शहद प्रसंस्करण, मशरूम की खेती, पत्ती बनाने, सुगंधित पौधों और आवश्यक तेलों, सोया बनाने, द्वारा की जा रही उद्यमशीलता गतिविधियों पर विस्तृत समझ की सुविधा है। सौर उत्पाद, जैव कीटनाशक, नीम आधारित उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज, वर्मीकम्पोस्ट, बायोगैस, मिट्टी ब्लॉक / ईंट बनाने / टाइलें, हीड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, टाइल बनाने, मिट्टी प्रसंस्करण आदि, कक्षा सत्रों के अलावा, प्रतिभागियों को व्यक्तिगत और समूह कार्य भी सौंपा गया ।

प्रतिभागियों के लिए एक व्यापक दिन की एक्सपोज़र यात्रा की व्यवस्था की गई, और उन्होंने हैदराबाद में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और टीवेव प्रौद्योगिकियों का दौरा किया। अपनी यात्राओं के दौरान, प्रतिभागियों को उद्यमशीलता संवर्धन के विभिन्न पहलुओं जैसे तकनीकी सहायता, ऊष्मायन केंद्रों के बारे में जानकारी, पंजीकरण प्रक्रिया, कच्चे माल का वितरण, विपणन कार्यक्रम, उत्पादों की प्रदर्शनी और प्रचार आदि के बारे में जानकारी मिली। टीवेव प्रौद्योगिकियों में प्रतिभागियों को सेल्फ पंपिंग और ईंट बनाने की मशीन, कोल्ड स्टोरेज, फिश डेबोनिंग, सोलर हाइब्रिड ड्रायर और आइस ब्लॉक मशीन जैसी कई नई तकनीकों के बारे में बताया गया।

डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, सहायक प्रोफेसर, सीजीएसडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए

समापन सत्र की अध्यक्षता आरटीपी, एनआईआरडीपीआर के वरिष्ठ सलाहकार, श्री मोहम्मद खान ने की। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उनसे भविष्य के कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपने अनुभव साझा करने का अनुरोध किया।

उन्होंने डॉ. रमेश सक्थिवेल के साथ प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रतिक्रिया दें। प्रतिभागियों और बाहरी संसाधनों के व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त कार्यक्रम सभी मामलों में संतोषजनक और कार्यक्रम में परिभाषित उद्देश्यों और लक्ष्यों को विधिवत महसूस किया गया।

डॉ. पार्था प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी, एनआईआरडीपीआर और डॉ. रमेश सक्तीवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआईएटी ने पाठ्यक्रम का समन्वयन किया।

एनआईआरडीपीआर ने पूर्व महानिदेशक श्री बी के सिन्हा के निधन पर शोक जताया

श्री बी के सिन्हा, पूर्व महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर के जीवन और अच्छे कार्य की सराहना करते हुए, 4 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के अंबेडकर ब्लॉक के सामने एक शोक सभा का आयोजन किया गया।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीजीजी और पीए, ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया श्री बी के सिन्हा की मृत्यु और एनआईआरडीपीआर में उनके दिनों को याद किया और कहा कि यह उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान के लिए धनराशि 15 करोड़ रुपये से बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गई है। डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज ने भी इस अवसर पर बात की।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने संस्थान को अग्रमी बनाने में श्री बी.के. सिन्हा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने याद दिलाया कि श्री बी.के. सिन्हा की कार्यावधि में एनआईआरडीपीआर में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

एनआईआरडीपीआर के सभी कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखा तथा श्री बी.के.सिन्हा की फोटो पर पुष्प अर्पित किए।

-सीडीसी पहल

मोबाइल प्रशिक्षण: ग्राम पंचायतों के द्वार पर प्रशिक्षण

सागर ब्लॉक, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रामकरचर

पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पीआरआई के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई दृष्टिकोणों का अनुसरण कर रहा है। बार-बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए फेस-टू-फेस संस्थान-आधारित दूरस्थ पद्धति पर प्रशिक्षण के साथ पूरक और ग्राम पंचायत के दरवाजे पर प्रशिक्षण, ग्राम पंचायतों के संस्थागत मजबूती के साथ-साथ बेहतर सेवा वितरण में योगदान करने में सक्षम है।

पंचायतों और ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण और अनुसंधान समिति (स्टारपार्ड) पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का एक अभिकरण है जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पीआरआई के ईआर और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की पहल करता है। स्टारपार्ड राज्य स्तर पर अपने राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) और जिला स्तर पर 20 जिला पंचायत प्रशिक्षण और संसाधन केंद्रों (डीपीटीआरसी) के माध्यम से कार्य करता है। पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के समग्र मार्गदर्शन के तहत, पीआरआई के ईआर और अधिकारियों के लिए संस्थान आधारित प्रशिक्षण डीपीपीसी में स्टारफोर्ड से आयोजित किया जाता है।

डीपीटीआरसी में ईआर और पीआरआई के अन्य अधिकारियों के संस्थान आधारित प्रशिक्षण के साथ, स्टारपार्ड ने ईआर और कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में मांग-संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का एक अभिनव तरीका अपनाया है, जिसे 'मोबाइल प्रशिक्षण' के रूप में जाना जाता है। दूरदराज के क्षेत्रों में कई ग्राम पंचायत हैं जहां क्षमता की कमी देखी गई। यह देखा गया कि मोबाइल प्रशिक्षकों के माध्यम से हैंडहोल्डिंग समर्थन और नियत तारीखों पर संसाधन व्यक्तियों की लगातार यात्राओं ने ईआर और पदाधिकारियों के साथ मांग और बातचीत के अनुसार समर्थन प्रदान करने के लिए प्रभावी साबित हुआ। निम्नलिखित कारणों से डिमांड-संचालित मोबाइल प्रशिक्षण बहुत लोकप्रिय और प्रभावी हो गया है:

- ईआर और अधिकारी अपने काम के स्थानों पर सीख सकते हैं और रात को बाहर घूमने और खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
- इस प्रकार के प्रशिक्षण को ग्राम पंचायत कार्यालय में आवश्यक होने पर आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए एक लैपटॉप और एक एलसीडी प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है जिसे मोबाइल ट्रेनर अपने साथ ले जाते हैं।
- मोबाइल प्रशिक्षक की मांग के अनुसार स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- ये उन मुद्दों पर सवाल पूछने के अवसर हैं, जो आम तौर पर ईआर और अधिकारियों के बीच बहस करते हैं, और ग्राम पंचायत कार्यालय में हल किए गए मुद्दों को प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ संगठनात्मक गतिशीलता के लिए अग्रणी होता है।
- प्रशिक्षक / संसाधन व्यक्ति क्षेत्र स्तर पर अलग-अलग स्थितियों के संपर्क में होने के कारण अनुभवी और समृद्ध हो जाते हैं। यह दोनों जीपी पर आमने-सामने प्रशिक्षण सत्रों और मोबाइल प्रशिक्षण में कई अप्रत्याशित मुद्दों को हल करने के लिए विशिष्ट मामलों को संदर्भित करने के लिए उनके दायरे को बढ़ाता है।

सभी जिलों में, ब्लॉक स्तरीय प्राधिकरण ग्राम पंचायतों का चयन करता है, जहां कार्यालय प्रबंधन, ओएसआर की पीढ़ी, वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, आदि जैसे मापदंडों में प्रदर्शन की कमी देखी जाती है।

ग्राम पंचायतें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की आवश्यकता स्वयं उठा सकती हैं। जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारी अपनी प्रशिक्षण टीम के साथ चयनित ग्राम पंचायतों में मोबाइल प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करता है। स्टारपार्ड की जिला इकाई के प्रशिक्षक प्रशिक्षण अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतों का दौरा करते हैं और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ इकट्ठा होते हैं, और उनके रजिस्टर और फाइलों के माध्यम से जाते हैं। फिर ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार, वे सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ सत्र आयोजित करते हैं। यह ग्राम पंचायत की पूरी टीम के बीच विषयों और मुद्दों की एक सामान्य समझ बनाने में मदद करता है, जो बदले में एक टीम के रूप में

उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, अगर ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई फाइलों और रजिस्टरों में किसी भी तरह की विसंगतियों को देखा जाता है, तो प्रशिक्षक उन्हें सही प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए, उन्हें सुधारने में मदद करते हैं।

मोबाइल प्रशिक्षण के इस अभ्यास से ईआर और पदाधिकारियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिली है, क्योंकि इस प्रकार का प्रशिक्षण दोनों समूहों को एक साथ सीखने, उनकी शंकाओं को स्पष्ट करने, एक सामान्य समझ विकसित करने, आगे एक मजबूत टीम बनाने में योगदान देने में मदद कर रहा है। एक टीम के रूप में ग्राम पंचायत, अपने पक्ष के प्रशिक्षकों के साथ मोबाइल प्रशिक्षण मंच में बेहतर सेवा वितरण के लिए नए विचारों और नवाचारों का सुझाव देने में सक्षम है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अपने प्रकाशनों में मोबाइल प्रशिक्षण को एक अच्छा अभ्यास माना गया। राज्य इस मोबाइल प्रशिक्षण को जारी रखेगा क्योंकि ग्राम पंचायत को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को सार्वभौमिक बनाने के संदर्भ में।

चित्रा चंद्रा
मास्टर प्रशिक्षक, स्टारपार्ड
पश्चिम बंगाल

पीआईए कर्मियों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श कौशल पर डीडीयू-जीकेवाई अग्रगामी प्रशिक्षण

बाएं से दाएं: श्री के.वी. सत्यनारायण, कार्यकारी निदेशक, डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर, डॉ. डब्ल्युआर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री के. मधुकर बाबू, ईडी, ईजीएमएम (शिक्षा विभाग के प्रोफेसर, शिक्षा का क्षेत्रीय संस्थान), डॉ. अनिल कुमार, एनसीईआरटी, के.आर पद्मनाभ राव, एपीडी, डीडीयू-जीकेवाई

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में कौशल प्रक्रिया के चार प्रमुख स्तंभ हैं: संग्रहण, परामर्श, प्रशिक्षण और स्थापन। भारत के ग्रामीण युवा न केवल अपनी पसंद का व्यायाम करना पसंद करते हैं, बल्कि कुशल जीवनयापन करने और स्थायी जीवनयापन करने के लिए सही दिशा में निर्देशित होने के लिए भी तैयार हैं।

इसे सक्षम करने के लिए, डीडीयू-जीकेवाई में युवाओं का परामर्श एक महत्वपूर्ण कार्य है। 14 राज्यों में देश भर में 600 से अधिक प्रशिक्षकों के साथ फोकस समूह चर्चा, अन्य मूल्यांकन और डिपस्टिक अध्ययनों ने दोहराया है कि रोजगार पर बेहतर उम्मीदवार संतुष्टि और प्रतिधारण के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श के लिए एक अधिक संरचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मार्च 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक के परिणामस्वरूप, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श में पीआईए कर्मियों के कौशल में सुधार पर डीडीयू-जीकेवाई कौशल और रोजगार केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीणविकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श आयोजित किया गया। सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर, पांच-दिवसीय प्रशिक्षण, जिसके बाद क्षेत्र कार्य विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया और तेलंगाना के लगभग 10 पीआईए के कर्मियों के लिए एक पायलट तैयार किया गया। 16 दिसंबर, 2019 को डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री के. वी. सत्यनारायण, कार्यकारी निदेशक, डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर, श्री मधुकर बाबू, ईजीएमएम, तेलंगाना के कार्यकारी निदेशक ने उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

उद्घाटन सत्र में पार्षदों को संबोधित करते हुए, महानिदेशक ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण केंद्र में लाने के उद्देश्य से न केवल युवाओं के साथ समय बिताने का आग्रह किया, बल्कि सहानुभूति के साथ उसे रास्ता दिखाने के लिए उसकी सहायता की।

"परामर्श उनके जीवन के पथ को साकार करने में मदद करने का एक कार्य है, उन्हें यह पता लगाने में सहायता करें कि वे क्या हैं और उन्हें किस तरह का जीवन चुनना चाहिए। आप उस महत्वपूर्ण कारक को नहीं भूल सकते जो आप एक परिवार का जीवन बना रहे हैं। यह ठीक है कि हमारे पास सभी समस्याओं के समाधान नहीं हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से बताएं, जीवन के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दें। उपकरण और तकनीकों से परे परामर्श, सामान्य ज्ञान और सहानुभूति के बारे में है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देना है। एक बैच को फ्रीज करने के लिए संघर्ष तत्व को अलग रखें, एक समग्र पथ और उनके बुलावे के सही मार्ग के साथ मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि वे आजीवन आपके आभारी रहेंगे, इस मुद्दे पर संपर्क करने की जरूरत है!"

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 22 प्रतिभागी वर्तमान में सौंपे गए क्षेत्र कार्य को पूरा कर रहे हैं, जिसके बाद प्रभाव का आकलन किया जाएगा और राष्ट्रव्यापी रोल आउट के लिए समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम का समन्वय एनआईआरडीपीआर की डीडीयु-जीकेवाई टीम द्वारा किया गया।

पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर क्षेत्रीय कार्यशाला

डॉ. रुबीना नुसरत, सहायक प्रोफेसर और पाठ्यक्रम निदेशक, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर ने पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने पर समूह चर्चा की सुविधा प्रदान की।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 5 से 6 दिसंबर, 2019 तक पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पंचायत का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 स्थानीय प्रशासन के पारंपरिक जनजातीय अभ्यास के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए था। अनुसूचित (या अनुसूची - V) क्षेत्रों वाले सभी दस राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने राज्य विधान को कमोबेश इस केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार लागू किया है। पीआर फाउंडेशन (2010) द्वारा संचालित आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अनुसूची क्षेत्र (पीईएसए) अधिनियम को पंचायत विस्तार की स्थिति पर एक अध्ययन के अनुसार, इस बात पर जोर दिया गया कि पीईएसए के खराब कार्यान्वयन के कारण जटिल और बहु - कांटेदार हैं। इसके बाद, एक कार्यशाला के माध्यम से पेसा के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन अनिवार्य हो जाता है।

इस पृष्ठभूमि में खिलाफ, एनआईआरडीपीआर ने छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए टीपीएसआईपीआरडी, छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य संबंधित राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा क.रना, पेसा के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और पेसा के कार्यान्वयन में सुधार के लिए रणनीति तैयार करना।

कार्यशाला की सामग्री में पीईएसए के कार्यान्वयन की स्थिति, पीईएस कार्यान्वयन में मुद्दे, पीईएस अधिनियम में अंतराल की पहचान और इसके वास्तविक अभ्यास, पीईएस में क्षेत्र के अनुभव, समूह अभ्यास के माध्यम से पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के प्रारूपण जैसे डोमेन के विभिन्न स्पेक्ट्रम शामिल है।

कार्यशाला में एसआईआरडी संकाय, जनजातीय प्रकोष्ठ के अधिकारी, पेसा राज्य के कार्यान्वयन अधिकारी, आदिम जाति कल्याण अधिकारी, पंचायत अधिकारी और पदाधिकारियों सहित कुल 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सहभागी और प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह व्याख्यान, समूह प्रस्तुति, मामला अध्ययन, विशिष्ट विषय पर फिल्मों की स्क्रीनिंग और मुद्दों पर आधारित समस्याओं के अभ्यास आदि जैसे प्रशिक्षण विधियों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण था, प्रतिभागियों ने समूह चर्चा और प्रस्तुतियों के माध्यम से पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना का मसौदा तैयार किया।

अंतिम दिन, प्रतिभागियों ने पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना पर एक प्रस्तुति दी और क्षेत्र से विभिन्न निष्कर्षों का प्रदर्शन किया। समानता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) की सहायक प्रोफेसर और पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. रुबीना नुसरत ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन किया।

ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अमृताफल किसान उत्पादक कंपनी, सब्बावरम, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में अज़ोला उत्पादन इकाई और इसके कृषि कार्यों में इसके अनुप्रयोगों का अवलोकन करने वाले प्रतिभागी

विकास की भागीदारी भारत की विदेश नीति में एक सर्वोपरि स्थान रखती है । पिछले कुछ वर्षों में विकासशील देशों में भारत के बाह्य विकास सहायता कार्यक्रमों में उनके दायरे और कवरेज में काफी वृद्धि हुई है । इनमें क्रेडिट की लाइनें, अनुदान सहायता, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है । अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत, 'ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियाँ' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईटीईसी के सदस्य देशों को कृषि और ग्रामीण विकास में सफलता की कहानियों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया । यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया । कार्यक्रम आईटीईसी के सदस्य देशों के वरिष्ठ चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के लिए 26 नवंबर, 2019 से 23 दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया । 16 विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्रॉस लर्निंग अनुभवों को बढ़ावा देना और उन्हें स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास पर देश-विशिष्ट कार्य योजनाओं में अनुवाद करना । पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- कृषि और ग्रामीण विकास के बीच संबंध को स्थापित करना
- अवधारणाओं, अर्थों, संकेतकों और स्थिरता की माप के तरीकों पर ध्यान देना
- कृषि विकास, गरीबी और सतत आर्थिक विकास के बीच संबंधों का आकलन करना
- विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर इसके प्रभाव पर प्रतिभागियों को उजागर करना
- जैविक कृषि के लिए विशेष संदर्भ के साथ विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ दृष्टिकोण पर प्रतिभागियों को उजागर करना

कार्यक्रम चार मॉड्यूल में कवर किया गया । 'भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन' पर मॉड्यूल में, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वच्छता, स्थानीय स्व-शासन संस्थानों, सामाजिक लेखा परीक्षा, मनरेगा, एसएचजी अवधारणाओं और एनआरएलएम, गोई के पोषण अभियान के माध्यम से अपनी आजीविका को लागू करने और कार्यान्वयन, मजदूरी रोजगार पर सत्र और कौशल विकास को कवर किया गया । भारत में 'सतत कृषि - अवधारणाओं और प्रक्रियाओं' पर मॉड्यूल, भारत में सतत कृषि प्रथाओं पर सत्रों, वर्षा आधारित कृषि, वाटरशेड कार्यक्रमों, शुष्क भूमि कृषि नवाचारों और तकनीकी विकास, कृषि और ग्रामीण विकास में जेंडर की भूमिका, ग्रामीण विकास के लिए आजीविका के रुप में पशुधन, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, मूल्य श्रृंखला के माध्यम से कृषि और पोषण संयोजन, ग्रामीण विकास और कृषि में भू-संसूचना का अनुप्रयोग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत वनस्पति को बढ़ावा देना शामिल है । प्राकृतिक कृषि प्रबंधन के तहत वनस्पति के प्रचार को सतत कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों पर तीसरे मॉड्यूल में कवर किया गया । किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, जल उपयोगकर्ता संघों, किसान क्लबों, जैव विविधता अधिनियम और नियम, पंचायतों की भूमिका, जैव विविधता के संरक्षण में पंचायतों की भूमिका, एनआरएलएम में संस्थाओं की भूमिका आदि जैसे संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया । प्रतिभागियों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का एक प्रदर्शन दौरे कराया गया जैसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास

बोर्ड (एनएफडीबी), केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), उत्कृष्टता केंद्र, सतत कृषि केंद्र (सीएसए), मॉडल बागवानी कृषि, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान (एनआईपीएचएम), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बाजरा प्रसंस्करण और ऊष्मायन केंद्र और उच्च घनत्व फसल पद्धति प्रदर्शनी के लिए नलगोंड़ा क्षेत्र दौरा किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एनआईआरडीपीआर के 15 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पैन इंडिया स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह मेला ग्रामीण भारत के नवाचारों, प्रौद्योगिकियों, शिल्प, हथकरघा और हस्तशिल्प, विविध कला और ग्रामीण भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत मंच है। एनआईआरडीपीआर प्रतिभागियों को हर साल अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर देता है और उपभोक्ताओं और उद्यमियों या इनोवेटरों दोनों के बीच जागरूकता और संयोजन पैदा करता है। मामला अध्ययन प्रलेखन के अलावा, प्रतिभागियों को मेले के अंत में भाग लेने वाले एसएचजी के साथ अपने अनुभव / साक्षात्कार को कवर करने वाले वीडियो बनाया गया।

तीनों मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के सत्रों के अनुसरण के रूप में, प्रतिभागियों को विशाखापट्टनम और अरकू घाटी में पांच दिवसीय अध्ययन दौरे के लिए ले जाया गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का दौरा किया; जागृति और अमृतापाल किसान उत्पादक संगठन, विकास संगठन, जीवित जल संगठन, जल और स्वच्छता परियोजनाएं। सतत् कृषि जैसे एकीकृत खेती, जैविक खेती और सतत् मूल्य श्रृंखला गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं। प्रतिभागियों ने आदिवासी विकासात्मक परियोजना स्थल, आदिवासी स्थानीय बाजार, पानी और स्वच्छता पर ग्रीन कनेक्सन और यूनिसेफ परियोजनाओं का दौरा किया, अरकू के पास टीडा गाँव में मॉडल आंगनवाड़ी, नाबार्ड ने एग्रोफोरस्ट्री फार्म (अराकू घाटी में मटोटा) का समर्थन किया, आदि। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिभागियों को भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन करने के लिए संस्कृति और विरासत स्थानों पर भी ले जाया गया।

प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटा गया और इन समूहों को उनके संबंधित देशों के लिए भारतीय स्थिति का विश्लेषण / तुलना करने और प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया, जो उनके द्वारा किए गए प्रत्येक सर्वोत्तम अभ्यास पर होता है। उनकी सभी प्रस्तुतियों के संकलन से उन्हें अपने देश के लिए कार्य योजना पर एक रिपोर्ट बनाने में मदद मिली, जिसे उन्होंने कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत किया है। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने की। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. सी.एच. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष (प्रभारी) और डॉ. नित्या वी.जी., सहायक प्रोफेसर, कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने किया।

समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ श्री आंजनेयुलु (पहली पंक्ति 4 वें दाईं ओर से), श्री चंदन कुमार (दाएं से पहली पंक्ति 5 वां)।

ग्रामीण आजीविका ग्रामीण विकास का एक अनिवार्य घटक है जिसके माध्यम से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकानों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक एक्सेस प्राप्त होगा। साहित्य में समुदाय आधारित संगठनों या सीबीओ की भूमिका को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। सीबीओ स्थानीय गैर-लाभकारी समूह हैं जो ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के बीच आजीविका, उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी, शासन आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। भारत सरकार एसएचजी, सहकारी समितियों और एफपीओ जैसे समुदाय-आधारित संगठनों को

बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है । छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और पारंपरिक सहकारी समितियों के शानदार प्रदर्शन के कारण सरकार ने 2003 में किसान उत्पादक संगठन के नाम से एक नया व्यवसाय मॉडल पेश किया, जो कि सहकारी समिति और एक कंपनी के बीच एक संकर कानूनी इकाई है । अगर एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है, तो भारत में एफपीओ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की आशा की किरण माना जाता है । इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के वित्तीय समावेश और उद्यमिता केंद्र (सीएफआईई), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान-उत्तर प्रदेश के सहयोग से, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ में 09-11 दिसंबर, 2019 के दौरान ग्रामीण आजीविका पर समुदाय आधारित संगठन (एसएचजी / सहकारी समितियाँ / एफपीओ) पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफकंपस) आयोजित किया गया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन करने और प्रतिभागियों का स्वागत करने के लिए, श्री एल. वेंकटेश्वरलू, आईएएस, महानिदेशक, यूपीएसआईआरडी, ने जोर देकर कहा कि केरल के कुडुम्बश्री मॉडल को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए । उन्होंने सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के संस्थापक मोहम्मद यूनुस की प्रशंसा की । उन्होंने स्त्री निधि के बारे में चर्चा की और इसने एसएचजी महिलाओं की मदद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत किया । उन्होंने पुष्टि की कि सभी मनुष्यों के ऊर्जा स्तर समान हैं और व्यक्ति को समाज की सेवा करने का जुनून होना चाहिए ।

श्रीमती मिनिस्ती. एस, आयुक्त, एफएसडीए-उत्तर प्रदेश ने सीबीओ की आवश्यकता पर जोर दिया और साझा किया कि उन्होंने राज्य सरकारों में चलाने के लिए एसएचजी महिलाओं द्वारा प्रेरणा कैंटीन योजना लागू की ।

डॉ. डी. सी. उपाध्याय, अपर निदेशक, यूपीएसआईआरडी और श्री जी. आंजनेयुलु, परामर्शदाता, सीएफआईई, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया और इसके उद्देश्यों को बताया । श्री राकेश रंजन, उप निदेशक, एसआईआरडी-यूपी ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया ।

कार्यक्रम की विषय-सूची

- ग्रामीण आजीविका, समुदाय आधारित संगठनों (एसएचजी / सहकारी समितियों / एफपीओ) का परिचय
- सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन
- एसएचजी-बीएलपी और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आजीविका में इसकी भूमिका
- ग्रामीण विकास के लिए मितव्ययी नवाचार
- वित्तीय साक्षरता: एसएचजी / सहकारी समितियों / एफपीओ के कामकाज में सुधार और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गुंजाइश
- ग्रामीण आजीविका में भूमिका - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारिता, एसएचजी
- सतत आजीविका कार्यक्रम - मुद्रा ऋण
- वित्तीय समावेश अंतरिक्ष में किसान उत्पादकों संगठनों की यात्रा (मामला अध्ययन के साथ)
- कृषि वित्त, कृषि बीमा और जोखिम प्रबंधन में उभरते क्षेत्र;

कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

स्रोत व्यक्तियाँ / संकाय

सीएफआईई के इन-हाउस संकाय सदस्य और चयनित अतिथि संकाय (एसआईआरडी, बीआईआरडी और अन्य विभाग), जो वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय साक्षरता, ग्रामीण उद्यमिता, एसएचजी - बीएलपी, कार्यक्रम में योगदान दिये एफपीओ के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ सह व्यवसायी हैं ।

प्रशिक्षण क्रियाविधि

प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधि और अपेक्षाओं के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण, मामला अध्ययन, वीडियो क्लिप और चर्चा, भूमिका निभाना (भविष्य के उपयोग के लिए प्रलेखित प्रक्रिया), व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों, क्षेत्र / एक्सपोज़र विज़िट, पुनर्कथन सत्रों की मदद से व्याख्यान और प्रतिक्रियात्मक सत्र जैसे विविध तरीके उपयोग किये गये ।

क्रम. सं.	संगठन का नाम	पदनाम	प्रतिभागियों की संख्या	
			मनोनीत	भाग लिया
1.	यूपी एसआरएलएम	डीएमएम	7	7
2.	यूपी एसआरएलएम	बीएमएम	12	12
2.	डीआईआरडी, प्रयागराज	डीडीओ	1	1
3.	आरआईआरडी, रायबरेली	ईटीओ	1	1
4.	आरआईआरडी, लखावटी	वरिष्ठ प्रशिक्षक	1	1
5.	डीआईआरडी, बरेली	वरिष्ठ प्रशिक्षक	1	1
6.	डीआईआरडी, सीतापुर	वरिष्ठ प्रशिक्षक	1	1
7.	आरआईआरडी, बीकेटी, लखनऊ	वरिष्ठ प्रशिक्षक	1	1
8.	डीआईआरडी, मथुरा	प्रशिक्षक	1	1
9.	डीआईआरडी, उन्नाव	प्रचार सहायक	1	1
10.	एचसीएल फाउंडेशन	एपीसी /बीसी / एफडीओ	5	5
11.	टेक्नोसर्व इंडिया	एएस /एफईओ	3	3
	कुल		35	35

प्रतिभागियों का विवरण जो इस आयोजन के भाग रहे

फीड़बैक और मूल्यांकन

प्रशिक्षण पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया निम्नानुसार है:

प्रतिभागियों से प्राप्त मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यक्रम सफल रहा। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कक्षा के सत्रों और क्षेत्र के दौरे और सावधानीपूर्वक कार्यक्रम निष्पादन के अच्छे मिश्रण के साथ प्रभावी कार्यक्रम डिजाइन के अलावा शांत प्रशिक्षण परिवेश और बहुत अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को जिम्मेदार ठहराया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, वित्तीय समावेशन और उद्यमशीलता केंद्र के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन श्री जी आंजनेयुलु, परियोजना सलाहकार और श्री चंदन कुमार, अनुसंधान सहायक, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता केंद्र द्वारा किया गया।

हरदोई किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड, कछुला, टाटा प्रयास विस्तार केन्द्र और सामुदायिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक शक्ति सेवा समिति, बालामऊ, हरदोई, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र दौरा।

कक्षा में किए गए शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों की मदद करने के लिए 10 दिसंबर, 2019 को दोपहर के भोजन के बाद के सत्रों के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र दौरे आयोजित किए गए।

(क) टाटा प्रयास विस्तार केन्द्र: यह एक ऐसा मंच है जहाँ छात्रों को नए कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है और सौर प्रकाश और सौर जल पंप मोटर जैसी चीजों का नवाचार किया जाता है, जिससे वे कम लागत पर मशीनों के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल बिजली प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों का चयन बीपीएल परिवारों से किया जाता है, जो व्यवहार पर आधारित होता हैं और प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान किया जाता है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को देश भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नियुक्त किया जाएगा।

(ख) हरदोई किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड: यह २०० किसानों के साथ एक एफपीओ है। एचसीएल की सीएसआर गतिविधियों के तहत, एचसीएल ने इस एफपीओ के निर्माण और विकास में सहायता की। इस एफपीओ के सदस्य किसानों को एफपीओ द्वारा चलाए जा रहे दुकानों से सस्ती कीमत पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे गुणवत्ता वाले निवेश वस्तुएँ मिलते हैं। उन्हें अपनी उपज के लिए सबसे अच्छी कीमत भी मिलती है जो एफपीओ द्वारा खरीदी और बेची जाती है।

(ग) सामुदायिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक शक्ति सेवा समिति: इस केंद्र में, आसपास के गांवों की एसएचजी महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लखनऊ और कानपुर से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल और रेशम की खरीद करके इन उत्पादों को बनाती हैं। उनके उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। एचसीएल फाउंडेशन इस समाज को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केटस से ऑर्डर लेने में मदद करता है। ये सभी एसएचजी महिलाओं को बेहतर जीवन स्तर का आनंद उठाने में मदद करते हैं।

प्रतिभागियों को एफपीओ और एसएचजी के लिए इस तरह के एक व्यावहारिक प्रदर्शन का दौरा करने के लिए प्रबुद्ध किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में हरदोई किसान निर्माता कंपनी का दौरा करने वाले प्रतिभागी

DETAILS	POST GRADUATE DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT (ONE YEAR FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME) MANAGEMENT (PGDRDM) 2020-21 BATCH-18)	POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - RURAL MANAGEMENT (PGDM-RM) 2020-22 BATCH-3 APPROVED BY AICTE (TWO YEARS FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME)
HOW TO APPLY:	Applications are to be submitted online only at www.nirdpr.org.in/pgdrdm.aspx.	
RESERVATION:	Reservations for the students of the SC/ST/OBC(Non-creamy layer) EWS and Persons with Disability (PWD) will be made as per the Government of India norms.	
LAST DATE :	**Last date for online submission is 10-04-2020. Applications received after the last date shall not be accepted.**	
ELIGIBILITY	•Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equiva lent in Graduation. •Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) Selection of candidates will be made through a process of All-India Entrance Test which will test the verbal, quantitative and analytical competencies of the students including English Language • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply. **ENTRANCE TEST:** The entrance test will be conducted at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai,Guwhati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Pune and Thiruvanantapuram. However, NIRDPR reserves the right to cancel any of the centres or add new centres for any administrative reasons and assign any other centretothe applicants.	• Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply.
Mode of Selection	Apart from eligibility conditions group discussion and personal interviews will be conducted for the short-listed candidates at NIRDPR, Hyderabad.	
Course Fee	Rs.1,80,000/- per annum	
Encouragement/ Scholarship	The North Eastern Council, Shillong, will be approached for giving fellowships to economically backward students of North Eastern States. During the course, based on the performance trimester-wise (more than 8 GPA) of the students, fee concessions will be provided in the subsequent next trimester as a matter of encouragement.	
For Details log on to	Web: http://www.nirdpr.org.in/ pgdrdm.asp Phone No.: 91-040-24008460, 442; 556	

Admission Notification for Distance Mode Courses

1. Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development (PGDSRD) Twelfth Batch (2020-21)
2. Post Graduate Diploma in Tribal Development Management (PGDTDM) Ninth Batch (2020-21)
3. Post Graduate Diploma in Geo-Spatial Technology Applications in Rural Development (PGDGARD) Fifth Batch (2020-21)
4. Diploma Programme on Panchayati Raj Governance & Rural Development (DP-PRGRD) Second Batch (2020)

Applications from aspiring candidates are invited for admission into above Distance Mode Courses commencing from 1st January, 2020. The minimum educational qualification for admission is Graduation in any discipline from UGC recognized Universities. Please visit our Website www.nird.org.in/dec.aspx for further details and to submit online application. The last date for receipt of filled-in applications is 31st December, 2019. For further queries, you may contact us through website.

Sd/
Prof. & Head (CPGS&DE)

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन